संख्या-15/23/2006-का-4-2006

प्रेषक,

बी.एन.दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
लोक सेवा आयोग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

र्मक अनुभाग-4 लखनऊ:: दिनांक::05 दिसम्बर, 2006

विषयः-लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अनुभाग अधिकारियों को नान फंक्शनल वेतनमान रूपये- 8000-13500 प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आयोग के पत्र संख्या-अधि-67/15अधि/2000-2001, दिनांक 27 जुलाई, 2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अनुभाग अधिकारियों को अनुभाग अधिकारी के रूप में 04 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर नान फंक्शनल वेतनमान के रूप में रूपये-8000-275-13500 निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) जिन अनुभाग अधिकारियों को नान फंक्शनल वेतनमान के रूप में रूपये-8000-275-13500 का वेतनमान प्राप्त हो जायेगा उन्हें समयमान वेतनमान की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत आगे लाभ अनुमन्य नहीं होगा। नान फंक्शनल वेतनमान प्राप्त करने वाले अनुभाग अधिकारियों को समयमान वेतनमान की अनुमन्यता पर यथावश्यकता पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

(2) उक्त आदेश दिनांक 28 मार्च, 2006 से प्रभावी होंगे।

(3) उपर्युक्तानुसार अनुमन्य कराये गये नान फंक्शनल वेतनमान में संबंधित अधिकारी का वेतन निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-22-ए(1) के अनुसार किया जायेगा।

2. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष-2006-2007 में अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2051-लोक सेवा आयोग-आयोजनेतर-102-राज्य लोक सेवा आयोग-03-राज्य लोक सेवा आयोग(भारित) के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे.आ.-2-1061/दस/2006, दिनांक 15 सितम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

5/12/06

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव।

संख्या-15/23/2006(1)-का-4-2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार(प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी(लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
6. वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
7. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

आज्ञा से,

5/12/06

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव।